न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 12 / 2024 दायरा दिनांक 10.07.2024
GCMS No. 2024/43

पीठासीन अधिकारी :– श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1. माखनलाल पुत्र गोविन्दी जाति जाटव निवासी केलवाडा तहसील शाहबाद जिला बारां
2. रामवती पत्नि पहलवान पुत्री गोविन्दी जाति जाटव निवासी गांजन तहसील शाहबाद, जिला बारां
3. गुड्डी पत्नि दुलीचन्द पुत्री गोविन्दी जाति जाटव निवासी ढिकोनियां तहसील किशनगंज जिला बारां
4. कौशल्या पत्नि पूरन पुत्री गोविन्दी जाति जाटव निवासी भंवरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां
5. आनन्दी पत्नि स्व. गोविन्दी जाति जाटव निवासी केलवाडा तहसील शाहबाद जिला–बारां राज0

– अपीलाण्ट्स

बनाम

1. हरिचरण पुत्र छुटटी जाति जाटव निवासी कलोनी तहसील शाहबाद जिला–बारां राज0
2. मुन्नी पत्नि बनवारी पुत्री छुटटी जाति जाटव निवासी करियादेह तहसील कराहल, जिला श्योपुर (म.प्र.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहबाद, जिला–बारां राजस्थान

– रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थित :–

श्री अरविन्द शर्मा, श्री कुबेर यादव – वकील अपीलान्ट।

दिनांक 28.08.2024

निर्णय

अपील विरूद्ध आदेश फौती नामान्तकरण नम्बर 1217 दिनांक 24.05.2016 ग्राम कलोनी

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 24.05.2016 विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेण्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि के सर्वथा विपरीत, अवैध होने से निरस्तनीय है। रेस्पोडेण्ट्स क्रम 1 व 2 का मृतक गोविन्दी की विरासत से कोई सम्बन्ध नहीं है। मृतक गोविन्दी के वारिसान अपीलान्ट्स मात्र है। रेस्पोडेण्ट्स 1 व 2 छुटटी के पुत्र–पुत्री है। रेस्पोडेण्ट्स क्रम 1 व 2 ने अपीलान्ट्स के पिता की जमीन ग्राम कलोनी खसरा नम्बर 671 रकबा 4.02 बीघा भूमि को हडपने का षडयन्त्र हल्का पटवारी कानूनगो को अपने षडयन्त्र में शामिल कर लिया है। उक्त जमीन हडपने के लिए फर्जी वारिस रेस्पोडेण्ट्स क्रम 1 व 2 बने जिनको असल वारिस के रूप में प्रमाणीकरण हल्का पटवारी व कानूनगो ने किया सम्पूर्ण कार्यवाही सर्वथा अवैध विधि विरूद्ध होने से नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट्स क्रम 5 वर्तमान में भी मृतक गोविन्दी की पत्नि जिन्दा है को रेस्पोडेण्ट्स क्रम 1 व 2 ने मृतक बताया व हल्का पटवारी कानूनगो ने भी षडयन्त्र भूमि हडपने में सक्रिया सहयोग किया और जीवित अपीलान्ट्स क्रम 5 को फौत होना रिपोर्ट कर रिकार्ड में कूटरचना कर भूमि हडपने का कृत्य कर भूमि को स्वयं के नाम दर्ज कर लिया है। उक्त नामान्तरकरण कूटरचित, फर्जी होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरकरण का ज्ञान दिनांक 21.06.2024 को नकल प्राप्त करने पर हुआ। तिथि जानकारी से अपील अवधि मध्य पेश है।

Scanned with OKEN Scanner

रेस्पोटेन्ट कम 1 व 2 ने उपस्थित होकर अपील जबाव पेश कर निवेदन किया कि :–

यह कि मद नंबर 1 स्वीकार हैं।

यह कि मद नंबर 2 व 3 स्वीकार हैं।

यह कि मद नंबर 4 5 6 स्वीकार हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में रेस्पोडेण्ट्स क्रम 1 व 2 का मृतक गोविन्दी की विरासत से कोई सम्बन्ध नहीं है। मृतक गोविन्दी के वारिसान अपीलान्ट्स मात्र है। रेस्पोडेण्ट्स 1 व 2 छुटटी के पुत्र–पुत्री है। फर्जी वारिस रेस्पोडेण्ट्स क्रम 1 व 2 बने जिनको असल वारिस के रूप में प्रमाणीकरण किया। सम्पूर्ण कार्यवाही सर्वथा अवैध विधि विरूद्ध होने से नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया। विद्वान वकील ने कथन किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में रेस्पोडेण्ट्स क्रम 1 व 2 का मृतक गोविन्दी की विरासत से कोई सम्बन्ध नहीं है। मृतक गोविन्दी के वारिसान अपीलान्ट्स मात्र है। रेस्पोडेण्ट्स कम 1 व 2 छुटटी के पुत्र–पुत्री है। पत्रावली में उपलब्ध रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के अपील जबाव में रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने अपील की सभी मद स्वीकार की हैं तथा रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के जबाव में आत्मज छुटटी अंकित किया है जिससे साबित होता हैं।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम कलोनी का नामान्तरकरण संख्या 1217 दिनांक 24.05.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। मूल नामान्तरकरण संख्या 1217 दिनांक 24.05.2016 निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार शाहबाद को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद (बारां)

Scanned with OKEN Scanner